भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1068

29 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्राथमिकता के आधार पर एम्बुलेंस वितरण प्रक्रिया

1068. # श्री नीरज डांगी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर एम्बुलेंस वितरण के लिए कोई मानक निर्धारित कर रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत ज्यादा है;
(ख) क्या सरकार स्मार्ट एम्बुलेंस या नई तकनीक का उपयोग करने की दिशा में कोई कदम उठा रही है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और अधिक सुलभ बना सके, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार एम्बुलेंस की गुणवत्ता और मानक सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से उपाय कर रही है, और क्या इन मानकों को लागू करने के लिए कोई निरीक्षण तंत्र है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाओं (एनएएस) का प्रावधान भी शामिल है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार है।

सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जनसंख्या मानदंडों के आधार पर उन्नत जीवन समर्थक (एएलएस) और बुनियादी जीवन समर्थक (बीएलएस) एम्बुलेंस के वितरण के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इन मानदंडों के अनुसार, प्रति 5,00,000 (5 लाख) लोगों पर एक एएलएस एम्बुलेंस की सिफारिश की जाती है, जबकि प्रति 1,00,000 (1 लाख) लोगों पर (पहाड़ी या दूरदराज के क्षेत्रों में छूट सहित प्रति 70,000 पर एक का मानक) एक बीएलएस एम्बुलेंस की सिफारिश की जाती है। यह आवंटन ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों सहित पूरे देश में स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं के लिए संतुलित और कुशल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

सरकारें एम्बुलेंस की तैनाती में लचीलापन बनाए रखती हैं, जिससे वे ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों सहित स्थानीय परिस्थितियों और स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं के अनुकूल बन सकें।

(ख): सरकार द्वारा आपातकालीन स्वास्थ्य परिचर्या सेवा की प्रभावशीलता और पहुंच बढ़ाने के लिए एम्बुलेंस सेवाओं में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एम्बुलेंस को जीपीएस ट्रैकिंग, तत्समय संचार, टेलीमेडिसिन सहायता और उन्नत रोगी निगरानी उपकरणों जैसी सुविधाओं से लैस करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, समय पर चिकित्सा सेवा प्रदान करने में आने वाली रसद संबंधी बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से, चुनिंदा दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में बाइक और बोट एम्बुलेंस जैसे नवीन परिवहन साधनों को तैनात किया जाता है। ये प्रौद्योगिकियां सामूहिक रूप से दक्षता में सुधार करती हैं, देरी को कम करती हैं तथा परिवहन के दौरान रोगी परिचर्या को बेहतर बनाती हैं।

(ग): सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस-125) जारी किया है, जिसे राष्ट्रीय एम्बुलेंस कोड भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से भारत में विभिन्न श्रेणियों की सड़क एम्बुलेंसों के लिए निर्माणात्मक और कार्यात्मक आवश्यकताओं के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए जाते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, सभी एम्बुलेंस प्रोटोटाइप को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अनुसार अधिकृत परीक्षण एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने राज्य प्राधिकारियों से देश भर में आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया सेवाओं को मानकीकृत करने के लिए एम्बुलेंस की खरीद और पंजीकरण के दौरान इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

इसके अतिरिक्त, इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण किए जाते हैं।

*****